संख्याः352/ श्रमसेवा/567–प्रशि0/ 2003

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 25-2-04

विषयः वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु आयोजनागत पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुद्धढीकरण योजनान्तर्गत मानक मद संख्या–26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र में रूपये 36 लाख निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्तविषयक आपके पत्र संख्याः डीटीइयू/0202/लेखा/2003/10299 दिनांक 19दिसम्बर–2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के निम्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों को खोले जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में मानक मद संख्या–26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि रूपये तीन करोड के सापेक्ष अवशेष रूपये 36,00,000/– (रूपये छत्तीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निम्नवत निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क0 सं0	संस्थान का नाम	खोले जाने वाला व्यवसाय	धनराशि (हजार रूपये में)
(1)	रा0आई0टी0आई0,युवक,दे0दून	फूड प्रो0जनरल एवं रटे बोर्ड	974
(2)	रा0आई0टी0आई0,युवक,हल्द्वानी	टर्नर	1026
(3)	रा0आई0टी0आई0,महिला,दे0दून	कटिंग टेलरिंग व्यवसाय स्थानान्तरण	1200
(4)	रा0आई0टी0आई0,महिला,दे0दून	होम मैनेजमेंट प्रशिक्षण	400
		योग :	3600

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृति की जा रही है, कि इकोनोमी मदों में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करकें ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

3– व्यय करते समय नवीनतम स्टोर पर्चेज रूल्स/डीजीएसएण्डडी की दरों/का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरें न होने पर उपकरणों का क्रय टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा । व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च–2004 तक पूर्ण उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु अनुदान संख्या– 16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230 श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत,003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण,07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण आयोजनागत के अन्तर्गत मानक मद संख्या 00 26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण के नामें डाला जायेगा। यह आंबटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिये किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0 2293/वि0अनु0– 3/ 03, दिनांक 20,फरवरी–2004, के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 352/ श्रमसेवा/ 567–श्रम/ 2003, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी।

3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
4. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग ।
5. वित्त अनुभाग–3
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव ।